## Goods and Services Tax (Compensation to States)Act, 2017

## Section 3: Projected growth rate

The projected nominal growth rate of revenue subsumed for a State during the transition period shall be fourteen percent. per annum.

## माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

## धारा 3 : अनुमानित विकास दर

संक्रमणकालीन अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए सम्मिलित की गई राजस्व की अनुमानित अभिहित विकास दर चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।